प्रकाशन संख्या 2

सत्यमेव जयते

बिहार विधान-सभा

की

आचार समिति

का

द्वितीय प्रतिवेदन

(दिनांक 30.11.16 20 ई० को सदन में उपस्थापित) ।

विषय-सूची

			पृष्ठ
1.	आचार समिति का गठन वर्ष 2016-17	..	'क'
2.	प्राक्कथन	..	'ग'
3.	प्रतिवेदन	..	1-13
4.	परिशिष्ट	..	14-16

बिहार विधान-सभा सचिवालय

आचार समिति वित्तीय वर्ष 2016–17
(षोडश बिहार विधान-सभा)

सभापति

1.	श्री सदानन्द सिंह	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	श्री विजय कुमार विजय	स०वि०स०
2.	श्री (मो०) तौसीफ आलम	स०वि०स०
3.	श्री राम विलाश पासवान	स०वि०स०
4.	श्री राम विशुन सिंह	स०वि०स०
5.	श्री रमेश सिंह कुशवाहा	स०वि०स०

बिहार विधान-सभा सचिवालय

1.	श्री राम श्रेष्ठ राय	सचिव
2.	श्री भूदेव राय	उप-सचिव
3.	श्री गणेश कुमार	अवर-सचिव
4.	श्री रंजय कुमार	सहायक

प्राक्कथन

मैं आचार समिति के सभापति की हैसियत से बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के अधीन बिहार विधान-सभा की आचार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

वस्तुतः संसदीय लोकतंत्र की सफलता बहुत हद तक जन-प्रतिनिधियों के आचरण एवं व्यवहार पर निर्भर करती है। आम लोगों की भी अपेक्षा होती है कि उनका प्रतिनिधि साफ-सुथरी छवि का हो, उनका आचरण एवं व्यवहार शालीन, मर्यादित एवं गरिमापूर्ण हो ताकि अपने संसदीय दायित्व का निर्वहन वह जिम्मेवारी के साथ कर सके। अतएव माननीय सदस्यों के आचार संहिता संबंधी जो भी उपबंध बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में किये गये हैं (परि० भाग-2 से 8 तक) उसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश इस प्रतिवेदन में किया गया है ।

उक्त प्रतिवेदन को दिनांक 22 अप्रील, 2016 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि समिति के सभी माननीय सदस्यों ने विमर्श में भरपूर योगदान किया, जिसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। समिति की बैठक में समिति से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सहयोग के लिये हार्दिक धन्यवाद।

पटना :
दिनांक 22 अप्रील, 2016 (ई०) ।

सदानंद सिंह,
सभापति, आचार समिति,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

आचार समिति

आचार समिति की उपयोगिता और उद्देश्य–

सार्वजनकि जीवन में काम करने वाले लोगों पर समाज की विशेष नजर रहती है । लोगों की अपेक्षा होती है कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति साफ-सुथरी छवि का हो । अपने आचरण एवं व्यवहार से वह समाज के सामने एक आदर्श रखे । इसी परिप्रेक्ष्य में राजनीति के साथ नैतिकता का प्रश्न जुड़ता है । हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं ने इसे जीवन मूल्य के रूप में अपनाया। महात्मा गाँधी ने राजनीति में शुचिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा व्यक्तिगत आचरण एवं व्यवहार को सार्वजनिक जीवन का आधार माना । उनका विश्वास था कि सिद्धांतविहीन राजनीति धोखा है, पाप है और वह समाज के लिये हितकर नहीं हो सकती है।

किन्तु आजादी के बाद भारतीय राजनीति में मूल्यों के क्षरण का दौर शुरू हुआ । स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेताओं के आचरण एवं व्यवहार के लिये नैतिकता के जिन ऊँचे आदर्शों का प्रतिमान कायम किया था, जाने-अनजाने उसकी अनदेखी होने लगी । आज यह आम धारणा बन गयी है कि राजनीति में स्वच्छता नहीं रही, इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ गया है । इससे राजनेताओं और राजनीतिकर्मियों के प्रति सम्मान भाव में कमी आयी है, राजनीति के प्रति भी लोगों में उदासीनता का भाव पैदा हुआ है । यह संसदीय लोकतंत्र के लिये चिन्ताजनक है।

इसी पृष्ठभूमि में यह अनुभव किया गया कि जन-प्रतिनिधियों के आचरण एवं व्यवहार को शालीन, मर्यादित एवं नैतिक होना आवश्यक है, ताकि सामाजिक जीवन में उनके प्रति जनता का विश्वास बरकरार रहे । इस उद्देश्य से बिहार विधान परिषद् में आचार समिति का गठन किया गया है।

पृष्ठभूमि–

जन-प्रतिनिधियों के आचार एवं व्यवहार पर विमर्श करने के लिये 23-24 सितम्बर, 1992 को नयी दिल्ली में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें समस्या के विभिन्न पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया ।

संसदीय जीवन में आचार एवं व्यवहार की शुचिता को अनिवार्य मानते हुये राज्य सभा के सभापति एवं उप राष्ट्रपति श्री के०आर० नारायणन ने 4 मार्च, 1997 ई० को राज्य सभा में आचार समिति का गठन किया। राष्ट्रमंडल देशों के साथ अमेरिका के संसदीय जीवन में आचार सम्बन्धी व्यवस्थाओं के ध्यान में रखते हुये राज्य सभा की आचार समिति को स्थायी संस्थागत रूप देने पर सहमति बनी । राज्य सभा में आचार समिति के प्रथम अध्यक्ष श्री एस०बी० चौहान बने। 1 दिसम्बर, 1998 को समिति ने अपना पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें राजनीति के अपराधीकरण

की समस्या पर चिन्ता व्यक्त की गयी और राजनीतिक दलों सहित चुनाव प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया।

अपने प्रथम प्रतिवेदन में श्री चौहान ने राज्य सभा के सदस्यों के लिये चौदह-सूत्री सिद्धान्त निरूपित किये जिनके दायरे में सदस्यों के आचरण, व्यवहार और नैतिक मूल्यों की संहिता तैयार की जा सकती है यथा ;

(1) सदस्यों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिससे संसद की छवि और उसकी विश्वसनीयता पर आंच आये।

(2) सदस्यों को अपने पद की गरिमा के अनुरूप सांसद की हैसियत से जनता की भलाई के काम को बढ़ाना चाहिये।

(3) यदि सदस्यों को काम करने के दरम्यान ऐसा लगे कि उनके व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित के बीच द्वन्द्व हो रहा है, तो उन्हें सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देनी चाहिये।

(4) सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिये कि उनके व्यक्तिगत आर्थिक हित अथवा उनके परिवार के आर्थिक हित सार्वजनिक हित से न टकराये। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे इस प्रकार सुलझाना चाहिये कि सार्वजनिक हित की कोई क्षति नहीं हो।

(5) सदस्यों को सदन के भीतर किसी विधेयक के पेश करने, किसी प्रस्ताव के पेश करने अथवा पेश करने से रोकने, प्रश्न पूछने अथवा प्रश्न पूछने से अनुपस्थित होने अथवा सदन की कार्यवाही या संसदीय समिति की कार्यवाही में भाग लेने के बदले में किसी अतिरिक्त शुल्क, मानदेय या लाभ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिये और न स्वीकार करना चाहिये।

(6) सदस्यों को ऐसा कोई उपहार नहीं लेना चाहिये जो ईमानदारीपूर्वक निष्पक्ष रूप में उनके राजकीय दायित्व के निर्वहन में बाधक हो। वैसे कोई छोटा-मोटा उपहार, सस्ते प्रतीक चिन्ह और सामान्य अतिथ्य वे स्वीकार कर सकते हैं।

(7) ऐसे सदस्य जो कोई सार्वजनिक पदधारण करते हों, सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें, जिससे जनता की भलाई हो।

(8) सदस्यों को एक सांसद के रूप में या संसदीय समिति के सदस्य के रूप में कोई गोपनीय सूचना प्राप्त होती है तो ऐसी सूचना को व्यक्तिगत हित में उन्हें प्रकट नहीं करना चाहिये।

(9) सदस्यों को ऐसे व्यक्तियों अथवा संस्थानों को जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते या जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं, उन्हें कोई प्रमाण-पत्र नहीं देना चाहिये।

(10) सदस्यों को किसी ऐसे मुद्दे का तुरत समर्थन नहीं करना चाहिये जिनके बारे में जानकारी नहीं है, या कम जानकारी है।

(11) सदस्यों को जो सुविधाएँ और साधन प्राप्त हैं, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिये।

(12) सदस्यों को किसी धर्म का अनादर नहीं करना चाहिये बल्कि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ाने के लिये काम करना चाहिये।

(13) सदस्यों को अपने मन-मस्तिष्क में उन मौलिक कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना चाहिये जिनका उल्लेख संविधान के भाग IVA में किया गया है।

(14) सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, मर्यादा, शालीनता और मूल्यों के ऊँचे आदर्श को कायम रखेंगे।

श्री एस०बी० चौहान की अध्यक्षता वाली राज्य सभा की आचार समिति ने 9 से 12 फरवरी, 1999 के बीच दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया और वहाँ संसद की आचार समिति के कार्यकलापों का अध्यन किया । इसके अलावा कुछ अन्य देशों की आचार समितियों एवं एतद् विषयक संस्थाओं के नियमों एवं कार्य प्रणालियों की भी जानकारी राज्य सभा की आचार समिति ने प्राप्त की । इन सभी जानकारियों और अनुभवों का समावेश समिति ने अपनी संहिता में किया।

राज्य सभा में आचार समिति के गठनोपरांत अपने प्रथम उद्घाटन वक्तव्य में श्री एस०बी० चौहान ने कहा था कि भारत के लिये आचार समिति की अवधारणा नयी है, इसलिये हमें ब्रिटेन, अमेरिका और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में काम कर रही आचार समिति के विभिन्न पक्षों और पहलुओं को समझना होगा । अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में आचार समिति साठ के दशक से ही काम कर रही है । वहाँ सम्यक् आचार संहिता के निर्माण के लिये नियमों और परिनियमों की अनुशंसा का अधिकार, अनुचित आचरण एवं कानून के उल्लंघन पर मिली शिकायतों की जाँच का अधिकार तथा सम्पत्ति के सार्वजनिक खुलासों पर कार्रवाई का अधिकार भी समिति को है।

लोक सभा में पहली बार आचार समिति का गठन 16 मई, 2000 को तेरहवीं लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा किया गया । इसके गठन के कार्य बिन्दु थे :-

(1) सदस्यों के नैतिक आचरण एवं व्यवहार का अवलोकन।

(2) लोक सभा में सदस्यों के अनैतिक आचरण संबंधी शिकायतों अथवा उनके संसदीय आचरण से संबंधित शिकायतें जो समिति को संसूचित की गयी हों, की जाँच करना और तदनुरूप अनुशंसा करना।

(3) अनैतिक आचरण के स्वरूप निर्धारण हेतु नियम बनाना।

समिति स्वयं भी सदस्यों के अनैतिक आचरण की सूचना मिलने पर संज्ञान ले सकती है और जाँच एवं अन्वेषण कराकर आवश्यक समझे तो अपनी अनुशंसा कर सकती है।

तेरहवीं लोक सभा की आचार समिति ने अपना पहला प्रतिवेदन 22 नवम्बर, 2001 को सदन में प्रस्तुत किया जो 16 मई, 2002 को सदन द्वारा पारित हुआ । इसमें अनुशंसा की गयी थी कि प्रतिवेदन में उल्लिखित आचार विषयक नियम सदस्यों के लिये पालनीय होंगे।

इसी तरह ब्रिटेन में सन् 1994 'कमिटी ऑन स्टेंडर्डस इन पब्लिक लाइफ '(Committee on standars in Public life) नामक कमिटी गठित है । जो नोलॉन कमिटी (Nolan Committee) के नाम से लोकप्रिय है । इस कमिटी ने अपने पहले प्रतिवेदन में संसद के सदस्यों के लिये आचार संहिता तैयार की और किसी स्वतंत्र चेता व्यक्ति को पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर स्टेंडर्डस (Parliamentary Commissioner for Standards) नियुक्त करने की सिफारिश की जो सांसदों को आचार संहिता के बारे में सलाह दे सके और गलत आचरण संबंधी शिकायतों की जाँच कर सके।

श्री चौहान ने अपने कार्यकाल में समिति का दूसरा प्रतिवेदन 8 दिसम्बर, 1999 को प्रस्तुत किया। इसके बाद जस्टिस रंगनाथ मिश्र राज्य सभा की आचार समिति के अध्यक्ष बने । उन्होंने तय किया कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोगों की राय आचार समिति के लिये उपयोगी हो सकती है । इसके लिये उन्होंने 10, 11 फरवरी, 2000 को मुम्बई में और 30, 31 अक्टूबर, 2000 को तिरुअनंतपुरम में बैठक की, जिसमें प्रमुख उद्योगपति, ट्रेड यूनियन के नेता, शिक्षाविद्, प्रशासनिक पदाधिकारी, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता, न्यायविद्, मीडिया कर्मी और अन्य लोग शामिल हुये। इस बीच संसद तथा राज्यों एवं संघ-राज्य क्षेत्रों के विधान मंडलों में अनुशासनहीन आचरण की घटनाओं को रोकने के उपाय पर विचार करने के लिये लोक सभा अध्यक्ष की पहल पर जून, 2001 में चंडीगढ़ में पीठसीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित हुआ । इसके अलावा राज्य सभा की आचार समिति के कुछ सदस्यों ने 11-13 सितम्बर, 2001 को अमेरिका की यात्रा की और सीनेट की एथिक्स कमिटी से विचार-विमर्श किया । इसके साथ ही मेरीलैंड राज्य के विधान मंडल की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के साथ भी इस विषय पर इनकी बातचीत हुई।

इस संदर्भ में यह विशेष उल्लेखनीय है कि 'संसद तथा राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के विधान मंडलों में अनुशासन और शालीनता' विषय पर विचार-विमर्श के लिये 25 नवम्बर, 2001 को नयी दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, संसदीय कार्य मंत्रियों तथा विभिन्न दलों के सचेतकों ने भाग लिया। सम्मेलन में संसद तथा राज्यों के विधान मंडलों की कार्यवाहियों में बाधा डालने और उन्हें रोकने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर चिन्ता व्यक्ति की गयी।

इस सम्मेलन में भी स्पष्ट रूप में रेखांकित किया गया कि सदन में अनुचित आचरण, यथा नारेबाजी करना, तख्ती (प्ले कार्ड) दिखाना, पत्रों को फाड़बा और फेखना, अभद्र मुद्रओं का प्रदर्शन करना, अध्यक्ष के आसन के समीप जाकर प्रदर्शन करना, धरने पर बैठना, कार्यवाही में बाधा डालना, अन्य सदस्यों को नहीं बोलने देना, व्यवस्था बनाने के लिये अध्यक्ष-पीठ (आसन) के निर्देशों पर ध्यान नहीं देना, पीठासीन अधिकारियों के विनिर्णयों पर प्रश्न चिह्न लगाना आदि से सदन की कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अत: अपेक्षा की गयी कि जन-प्रतिनिधि यह समझें कि वे लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की सर्वोच्च संस्थाओं से सम्बंध रखते हैं और सदन के भीतर तथा बाहर उनके आचरण एवं व्यवहार का उसकी सफलता पर सीधा असर पड़ता है।

अत: समाज और राष्ट्र के हितों के वे संरक्षक होने के नाते उनका आचरण न केवल अनुकरणीय बल्कि सर्वोच्च लोकतांत्रिक परम्पराओं और जनता की आशाओं के अनरूप भी होना चाहिये।

इन सारे विमर्शों और अनुभवों के आलोक में जस्टिस रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में राज्य सभा की आचार समिति में अगस्त, 2002 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

आज विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में यह भावना प्रबल होती जा रही है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता के लिये नैतिक आचार सँहिता जरूरी है । कुछ दिन पूर्व तीसरी दुनिया का एक छोटा-सा देश क्यूबेक (Quebec) ने अनुभव किया कि राजनेताओं के प्रति आम जनता की उदासीनता बढ़ी है। उनकी अपेक्षा है कि उनका प्रतिनिधि अपने आचरण में नैतिक मूल्यों का समावेश कर समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करे। इसलिये आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में नैतिकता और पारदर्शिता बुनियादी मूल्य (Core Values) हैं । क्यूबेक नेशनल असेम्बली ने कनाडा, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जन-प्रतिनिधियों के लिये लागू आचार सँहिता का अध्ययन कर एक विधेयक तैयार किया जो 14 मई, 2009 को क्यूबेक नेशनल असेम्बली में प्रस्तुत किया गया। लम्बे विचार-विमर्श और कतिपय संशोधनों के साथ यह विधेयक 3 दिसम्बर, 2010 को स्वीकृत हुआ।

बिहार विधान-सभा की आचार समिति

इस तरह की विभिन्न लोकतांत्रिक प्रणालियों और संसदीय परम्पराओं को ध्यान में रखकर बिहार विधान-सभा ने दिनांक 30 अप्रील, 2007 को आचार समिति का गठन किया।

समिति का विस्तृत विवरण निम्नवत है:--

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में आचार समिति के नियम '292 ज' का अंश।

292ज. 1. **आचार समिति का गठन--**

(क) अध्यक्ष समय-समय पर आचार समिति का गठन कर नाम निर्देशित करेंगे जिसमें 10 सदस्य होंगे।

(ख) उप-नियम (1) के अधीन नाम निर्देशित की गई समिति तबतक कार्य करती रहेगी जबतक कि नई समिति का गठन न की जाये।

(ग) समिति में हुई आकस्मिक रिक्तियाँ अध्यक्ष द्वारा भरी जायेंगी।

2. **समिति का सभापति--**

(क) समिति का सभापति समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(ख) यदि समिति का सभापति किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष उनके स्थान पर समिति के एक अन्य सदस्य को सभापति नियुक्त कर सकेंगे।

(ग) यदि समिति का सभापति किसी बैठक में अनुपस्थित रहे तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक में समिति के सभापति के रूप में कार्य करने के लिये चुनेगी।

3. **गणपूर्ति--**

समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति कुल सदस्यों के निकटतम एक तिहाई सदस्य से हो सकेगा।

4. **कृत्य--**

समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:--

(क) सदस्यों के सदाचार और नैतिक आचरण पर ध्यान रखना ;

(ख) सदस्यों के लिये आचार संहिता तैयार करना और सभा को प्रतिवेदन के रूप में आचार

सँहिता में समय-समय पर संशोधन या परिवर्तन करने के लिये सुझाव देना ;

(ग) सदस्यों के कथित आचरण और दुराचरण से संबंधित मामलों अथवा सदस्यों द्वारा आचार सँहिता का उल्लंघन किये जाने की जाँच करना ;

(घ) स्वप्रेरण से अथवा विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर समय-समय पर आचार विषयक मान-दण्डों से संबंधित प्रश्नों पर सदस्यों को सलाह देना।

5. **साक्ष्य लेने या पत्र, अभिलेख या दस्तावेज माँगने की शक्ति–**

(क) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन समिति द्वारा किसी साक्षी को बुलाया जा सकेगा और वह ऐसे प्रलेख प्रस्तुत करेगा जो समिति के उपयोग के लिये अपेक्षित हो।

परन्तु यह कि यदि यह प्रश्न पैदा हो जाये कि किसी व्यक्ति का साक्ष्य या प्रलेख की प्रस्तुति समिति के प्रयोजनों के लिये प्रासँगिक है, तो यह मुद्दा अध्यक्ष के पास भेजा जायेगा जिनका निर्णय अँतिम होगा ;

(ख) यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि वह अपने सामने लिये गये किसी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय माने।

6. **सदस्यों द्वारा दी जानेवाली सूचना–**

प्रत्येक सदस्य को सँविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के 90 दिन के भीतर अपने तथा अपने नजदीकी परिवारजन अर्थात पति/पत्नी, आश्रित पुत्रियों तथा आश्रित पुत्र की ''परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों'' के संबंध में समिति को या समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी प्राधिकृत अधिकारी को सूचना उपलब्ध करानी होगी जैसाकि लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 75क के अधीन बनाये गये नियमों में उपबंधित है।

7. **सदस्यों के हितों की पंजिका–**

(क) समिति द्वारा अवधारित किये गये रूप में ''सदस्यों के हितों की एक पंजिका'' रखी जायेगी जिसे सदस्य अनुरोध पर निरीक्षण के लिये प्राप्त कर सकेंगे ।

(ख) पंजिका का रख-रखाव सभा के प्राधिकार के अंतर्गत किया जायेगा।

(ग) समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पंजिका में निहित सूचना आम जनता को दी जा सकती है।

8. **शिकायत करने की प्रक्रिया–**

(क) कोई भी व्यक्ति समिति से आरोपित ''आचार संबंधी अनैतिक व्यवहार'' या किसी सदस्य द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन या किसी सदस्य के हितों की आरोपित गलत सूचना की शिकायत कर सकता है।

(ख) समिति मामलों को स्वप्रेरणा से भी उठा सकती है।

(ग) सदस्य भी मामलों को समिति के पास भेज सकते हैं।

(घ) कोई भी शिकायत समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को लिखित रूप से ऐसे रूप एवं स्वरूप में की जायेगी, जैसाकि समिति विनिर्दिष्ट करे।

(ङ) शिकायत संयमित भाषा में व्यक्त होगी तथा तथ्यों तक सीमित होगी।

(च) शिकायत करने वाले व्यक्ति को अपनी पहचान की घोषणा करनी होगी तथा अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिये सहायक दस्तावेजी या अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

(छ) समिति शिकायतकर्ता का नाम प्रकट नहीं करेगी, यदि शिकायतकर्ता द्वारा इस प्रकार का अनुरोध किया जाता है तथा उसके अनुरोध को समुचित कारणों से समिति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

(ज) केवल मीडिया की अप्रमाणिक रिपोर्ट पर आधारित शिकायत को प्रमाणिक आरोप नहीं माना जायेगा।

(झ) समिति ऐसे किसी मामले पर विचार नहीं करेगी जो न्याय निर्णयाधीन हो तथा इस नियम के उद्देश्य के लिये कि क्या ऐसा मामला न्याय निर्णयाधीन है या नहीं, समिति के निर्णय को अंतिम निर्णय माना जायेगा।

9. **जाँच की प्रक्रिया–**

(क) यदि समिति इस बात से संतुष्ट है कि शिकायत उचित रूप में है तथा मामला उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर है, तो वह मामले को प्रारंभिक जाँच के लिये ले सकती है।

(ख) प्रारंभिक जाँच के बाद यदि समिति द्वारा पाया जाये कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है तो मामले को छोड़ा जा सकता है।

(ग) यदि यह पाया जाता है कि कोई शिकायत असत्य या खिजाऊ है अथवा दुर्भावना से की गई है तो मामले पर संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन के मुद्दे के रूप में विचार किया जा सकता है।

(घ) यदि समिति द्वारा यह पाया जाता है कि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है, तो मामले पर समिति द्वारा जाँच तथा प्रतिवेदन देने के लिये विचार किया जायेगा ।

(ङ) समिति अपने अधिदेश को कार्य रूप देने तथा समिति द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन कार्यरत किसी अधिकारी द्वारा जाँच करने के लिये अध्यक्ष की अनुमति से समय-समय पर उप-नियम बना सकती है ।

(च) समिति सामान्यतया अपनी बैठकें बंद कमरे में आयोजित करेगी।

10. दण्ड–

जब भी यह पाया जाये कि किसी सदस्य ने कोई अनैतिक आचरण या अन्य कदाचारपूर्ण कार्य किया है या संहिता/नियमों का उल्लंघन किया है, तो समिति निम्नलिखित दण्डों में से एक या उससे अधिक दण्ड देने की सिफारिश कर सकती है:–

(क) निन्दा

(ख) भर्त्सना

(ग) विनिर्दिष्ट अवधि के लिये सदन से निलंबन ; तथा

(घ) समिति द्वारा उचित समझा गया कोई अन्य दण्ड।

11. प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना–

आचार समिति की प्रतिवेदन समिति के सभापति या उसकी अनुपस्थिति में किसी भी सदस्य द्वारा सभा में प्रस्तुत किया जायेगा।

12. प्रतिवेदन पर विचार किये जाने का प्रस्ताव–

प्रतिवेदन के सभा में उपस्थित किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र समिति के सभापति या समिति के किसी सदस्य के नाम से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये कि प्रतिवेदन पर विचारर किया जाये।

13. विचार किये जाने के प्रस्ताव में संशोधन–

कोई भी सदस्य प्रतिवेदन् पर विचार किये जाने के प्रस्ताव में संशोधन की सूचना ऐसे रूप में जैसाकि अध्यक्ष द्वारा उचित समझा जाये, दे सकता है ।

14. प्रतिवेदन पर विचार किये जाने के बाद प्रस्ताव–

प्रतिवेदन पर विचार किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किये जाने के पश्चात् समिति का सभापति या कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य जैसी भी स्थिति हो, यह प्रस्ताव कर सकता है कि सभा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों से सहमत है या असहमत है या संशोधन के साथ सहमत है।

15. प्रक्रिया का विनियमन–

अध्यक्ष, समिति या सभा के सदस्यों के नैतिक और कदाचार के मामलों की जाँच से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये ऐसे निदेश जारी कर सकता है, जैसाकि वह आवश्यक समझे।

16. नैतिक तथा अन्य कदाचार के प्रश्न को समिति को भेजने के संबंध में अध्यक्ष का अधिकार–

इन नियमों में से किसी बात के होते हुये अध्यक्ष किसी सदस्य के नैतिक तथा अन्य कदाचार से संबंधित प्रश्न को जाँच, अन्वेषण तथा प्रतिवेदन देने के लिये आचार समिति को भेज सकता है।

समिति की अनुशंसा

सदस्यों के लिये आचार संहिता

विधान मंडल परिसर में प्रवेश के समय आचार संहिता

1. परिसर में प्रवेश के समय अपना परिचय-पत्र साथ रखें और सुरक्षाकर्मी के माँगने पर उसे दिखायें।
2. सत्रावधि में सदस्य यह सुनिश्चित करें कि पोर्टिको में उन्हें उतार कर चालक पार्किंग हेतु नियत स्थल पर गाड़ी लगायें।
3. सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनके साथ आनेवाले अंगरक्षक, सुरक्षा अधिकारी अथवा निजी कर्मचारी विधान-सभा भवन में प्रवेश नहीं करें ।
4. सत्र के दौरान सदस्य विरोध प्रदर्शन हेतु परिसर में झंडा, बैनर, पोस्टर आदि लेकर नहीं आयें।
5. सत्रावधि में सदस्य विधान-सभा प्रसीमाओं (पोर्टिको के आगे बनी लाल एवं उजली रेखा) के बाहर ही विरोध प्रदर्शन करें, ताकि प्रवेश द्वार को आने-जाने के लिये निर्बाध रखा जा सके।

सदन के बाहर सदस्यों के लिये आचार संहिता

1. अपना पहचान-पत्र हमेशा साथ रखें ।
2. सदन के किसी निर्णय की सार्वजनिक आलोचना न करें।
3. यातायात नियमों का पालन करें।
4. अपना वाहन पार्किंग स्थल पर ही लगायें।
5. पहले से समय लेकर सरकारी पदाधिकारी से मिलने जायें।
6. सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों से उलझे नहीं, जरूरत पड़ने पर ऊपर के अधिकारियों से शिकायत करें।
7. वैसे कार्यक्रमों में भाग न लें जो आपकी गरिमा के अनुरूप न हो।
8. स्वयं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सादगी और मितव्ययिता बरतें।

सदन के भीतर सदस्यों के लिये आचार संहिता

1. सदन में प्रवेश से पूर्व सदस्य उपस्थिति पुस्तिका पर हस्ताक्षर करें ।
2. अध्यक्ष के इस नियमन के बाद यह कथन कार्यवाही में नहीं जायेगा, उसे प्रचारित नहीं करें।
3. अध्यक्ष द्वारा किसी प्रश्न के अस्वीकृत किये जाने के बाद इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछें।
4. कोई सदस्य अध्यक्ष के किसी निर्णय से सहमत नहीं हैं तो अध्यक्ष के कक्ष में मिलकर अपना पक्ष रखें।

शिष्टमंडलों के साथ वार्ता के दौरान सदस्यों के लिये आचार संहिता

1. शिष्टमंडलों के साथ वार्ता के लिये निर्धारित समय पर सदस्य उपस्थित रहें।

2. वार्ता में निर्धारित विषय पर ही अपने को केन्द्रित रखें और कोई विवादास्पद या व्यंग्यात्मक टिप्पणी न करें ।

सदानंद सिंह,
सभापति, आचार समिति,
बिहार विधान–सभा, पटना।

पटना :
दिनांक 22 अप्रील, 2016 (ई०) ।

परिशिष्ट

आचार समिति की दिनांक 22 अप्रील, 2016 को 3.30 बजे अप० में सभा सचिवालय स्थित सभापति कक्ष में हुई बैठक की कार्यवाही।

1. श्री सदानन्द सिंह — सभापति

2. श्री विजय कुमार विजय — सदस्य

3. श्री (मो०) तौसीफ आलम — सदस्य

4. श्री राम विशुन सिंह — सदस्य ।

सभापति— बिहार विधान-सभा की आचार समिति की उपयोगिता और उद्देश्य एवं बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में उल्लिखित माननीय सदस्यों की आचार संहिता में किये गये उपबंध के अतिरिक्त माननीय सदस्यों के लिये आचार संहिता के संबंध में आचार समिति निम्न अनुशंसा के साथ समिति के द्वितीय प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से पारित करती है ।

सदस्यों के लिये आचार संहिता

विधान मंडल परिसर में प्रवेश के समय आचार संहिता

1. परिसर में प्रवेश के समय अपना परिचय-पत्र साथ रखें और सुरक्षा कर्मी के माँगने पर उसे दिखायें।

2. सत्रावधि में सदस्य यह सुनिश्चित करें कि पोर्टिको में उन्हें उतार कर चालक पार्किंग हेतु नियत स्थल पर गाड़ी लगायें।

3. सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनके साथ आनेवाले अंगरक्षक, सुरक्षा अधिकारी अथवा निजी कर्मचारी विधान-सभा भवन में प्रवेश नहीं करें।

4. सत्र के दौरान सदस्य विरोध प्रदर्शन हेतु परिसर में झंडा, बैनर, पोस्टर आदि लेकर नहीं आयें।

5. सत्रावधि में सदस्य विधान-सभा प्रसीमाओं (पोर्टिको के आगे बनी [illegible] रेखा) से बाहर ही विरोध प्रदर्शन करें, ताकि प्रवेश द्वार को आने-जाने के लिये निर्बाध रखा जा सके।

सदन के बाहर सदस्यों के लिये आचार संहिता

1. अपना पहचान-पत्र हमेशा साथ रखें।
2. सदन के किसी निर्णय की सार्वजनिक आलोचना न करें।
3. यातायात नियमों का पालन करें।
4. अपना वाहन पार्किंग स्थल पर ही लगायें।
5. पहले से समय लेकर सरकारी पदाधिकारी से मिलने जायें।
6. सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों से उलझे नहीं, जरूरत पड़ने पर ऊपर के अधिकारियों से शिकायत करें।
7. वैसे कार्यक्रमों में भाग न लें जो आपकी गरिमा के अनुरूप न हो।
8. स्वयं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सादगी और मितव्ययिता बरतें।

सदन के भीतर सदस्यों के लिये आचार संहिता

1. सदन में प्रवेश से पूर्व सदस्य उपस्थिति पुस्तिका पर हस्ताक्षर करें।
2. अध्यक्ष के इस नियमन के बाद यह कथन कार्यवाही में नहीं जायेगा, उसे प्रचारित नहीं करें।
3. अध्यक्ष द्वारा किसी प्रश्न के अस्वीकृत किये जाने के बाद इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछें।
4. कोई सदस्य अध्यक्ष के किसी निर्णय से सहमत नहीं हैं तो अध्यक्ष के कक्ष में मिलकर अपना पक्ष रखें।

शिष्टमंडलों के साथ वार्ता के दौरान सदस्यों के लिये आचार संहिता

1. शिष्टमंडलों के साथ वार्ता के लिये निर्धारित समय पर सदस्य उपस्थित रहें।

2. वार्ता में निर्धारित विषय पर ही अपने को केन्द्रित रखें और कोई विवादास्पद या व्यंग्यात्मक टिप्पणी न करें।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि सदन में उपस्थापित करने के पूर्व प्रतिवेदन का मुद्रण, प्रकाशन एवं परिचालन का आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय से प्राप्त किया जाये।

तत्पश्चात् बैठक स्थगित हुई।

बि०स०मु० (एल०ए०), 27 – डी०टी०पी०– 300